रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 656] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 1, 2007/ज्येष्ठ 11, 1929
No. 656] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 1, 2007/JYAISTHA 11, 1929

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2007

का.आ. 859(अ).—केन्द्रीय सरकार, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 3 और धारा 5 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की तारीख 27 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1621(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

उक्त अधिसूचना में,–

(i) क्रम सं. 2 और 5 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

"2.	संयुक्त सचिव, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली ।	सदस्य
3.	सलाहकार (जल गुणवत्ता मानीटरिंग कार्य संभालने वाले) पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली ।	सदस्य
4.	संयुक्त सचिव (पी ए-1), पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली ।	सदस्य
5.	संयुक्त सचिव कोयला और खान मंत्रालय, नई दिल्ली ।	सदस्य";

(ii) क्रम सं. 7 से 11 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

"7.	अध्यक्ष, त्रिपुरा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अगरतला ।	सदस्य
8.	अध्यक्ष, उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भुवनेश्वर ।	सदस्य
9.	अध्यक्ष, गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अहमदाबाद ।	सदस्य
10.	महापौर, हैदराबाद नगर निगम, हैदराबाद ।	सदस्य
11.	अध्यक्ष, केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तिरुवनंतपुरम ।	सदस्य"।

(iii) क्रम सं. 17 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

"17.	श्री बी. सेनगुप्ता, निदेशक	सदस्य सचिव"।

[सं. क्यू. 15014/2/2003-सीपीडब्ल्यू]

आर. के. वैश, संयुक्त सचिव

टिप्पण : केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन करने वाली मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण में, संख्या का.आ. 1621(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2007

S.O. 859(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 and Sub-section (6) of Section 5 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1621(E), dated 27th September, 2006, namely :—

In the said notification :—

(i) for serial numbers 2 to 5 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely :—

"2.	Joint Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi.	Member
3.	Adviser (Handling Water Quality, Monitoring work) Ministry of Environment and Forests, New Delhi.	Member
4.	Joint Secretary, (PA-I), Ministry of Environment and Forests, New Delhi.	Member
5.	Joint Secretary, Ministry of Coal and Mines, New Delhi.	Member";

(ii) for serial numbers 7 to 11 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely :—

"7.	Chairman, Tripura Pollution Control Board, Agartala.	Member
8.	Chairman, Orissa State Pollution Control Board, Bhubaneswar.	Member
9.	Chairman, Gujarat State Pollution Control Board, Ahmedabad.	Member
10.	Mayor, Municipal Corporation of Hyderabad, Hyderabad.	Member
11.	Chairman, Kerala State Pollution Control Board, Thiruvanathapuram.	Member".

(iii) for serial number 17 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall respectively be substituted, namely :—

"17.	Sh. B. Sengupta, Director	Member Secretary".

[No. Q. 15014/2/2003-CPW]

R. K. VAISH, Jt. Secy.

Note : The Principal notification constituting the Central Pollution Control Board was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O. 1621(E), dated the 27th September, 2006.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.